Date - 26 Feb 2022

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

- अगर हमारे बाजार अस्थिर रहते हैं, यानी वित्तीय स्थिरता, तो निवेशक जोखिम नहीं लेना चाहेंगे और इस तरह आर्थिक गतिविधियां कम होने लगेंगी।
- इसे किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही, हमारे वित्तीय क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए; वित्त से संबंधित बड़ी एजेंसियों के बीच समन्वय कैसे होना चाहिए; लोगों को आर्थिक रूप से साक्षर कैसे बनाया जाए और उन्हें संगठित वित्तीय प्रणाली में कैसे शामिल किया जाए।
- ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिए बिना विकास संभव नहीं है। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, एक संगठन का गठन किया गया है जिसका नाम है – वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद **(FSDC)** ।
- दरअसल, **22** फरवरी को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की **25**वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित की गई थी ।
- बजट के बाद वित्त मंत्री श्रीमती. सीतारमण मुंबई शहर के दो दिवसीय दौरे पर थीं, जहां उन्होंने उद्योग के प्रतिनिधियों, वित्तीय बाजार के पदाधिकारियों और बैंकरों के साथ कई मुद्दों पर बैठकें कीं।
- बैठक में, एफएसडीसी ने अपने विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली विभिन्न मैक्रो-वित्तीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया।
- एक मैक्रो-स्तरीय बैठक में, परिषद ने देखा कि सरकार और सभी नियामकों को वित्तीय स्थितियों और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के कामकाज की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है।
- परिषद ने मुद्रा प्रबंधन से संबंधित परिचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। इसने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी उप-समिति द्वारा की गई गतिविधियों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी ध्यान दिया।
- रघुराम राजन समिति की सिफारिशों के आधार पर **30** दिसंबर **2010** को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं।
- इसके सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, सेबी के अध्यक्ष, अध्यक्ष शामिल हैं। आईआरडीए और पीएफआरडीए की।

Yojna IAS

- **FSDC** का कार्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, और वित्तीय समावेशन और बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से संबंधित छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण प्रदान करना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस परिषद को इसकी गतिविधियों के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है।

'मेरी नीति मेरे हाथ' अभियान

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने **18** फरवरी **2016** को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की।
- यानी **18** फरवरी को इस योजना के **6** साल पूरे हो गए और अब यह आगामी खरीफ **2022** सीजन के साथ अपने कार्यान्वयन के **7**वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है।
- ऐसे में भारत सरकार 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के नाम से किसानों को फसल बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए घर-घर जाकर अभियान शुरू करने जा रही है.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुए नुकसान से जूझ रहे किसानों को बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इसमें प्रीमियम पर सब्सिडी में राज्यों और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी **50-50%** है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में यह **90:10** के अनुपात में है. इसके तहत अब तक **36** करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया जा चुका है।
- सरकार के अनुसार **4** फरवरी **2022** तक इस योजना के तहत **1,07,059** करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है.
- योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में **PMFBY** का राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल **(NCIP)**, किसानों के त्वरित नामांकन के लिए एक फसल बीमा मोबाइल ऐप, एक सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल, **NCIP** के माध्यम से किसान प्रीमियम का प्रेषण, आदि शामिल हैं।
- योजना कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इसमें नामांकित लगभग **85** प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं।
- वर्ष **2020** में किसानों की सुविधा के अनुसार इस योजना में काफी बदलाव किए गए। बदलाव के तहत किसान किसी भी घटना के **72** घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- किसान यह जानकारी अपने फसल बीमा एप पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा सीएससी केंद्र या नजदीकी कृषि अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। साथ ही किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन नुकसान का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है|
- किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को और प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरी नीति मेरे हाथ' अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सभी राज्यों के किसानों को फसल बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए घर-घर जाकर वितरण अभियान चलाया जाएगा।

- अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनकी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावा प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।

Swadeep Kumar

Yojna IAS